



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55694

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4049/2026

गिरीश चन्द्र

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: अरविन्द त्रिपाठी, शरद त्रिपाठी

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय सं० - 70

माननीय न्यायमूर्ति सन्तोष राय

1. आवेदक की ओर से आज न्यायालय में दाखिल प्रतिउत्तर शपथपत्र पत्रावली पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम मौर्या को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
3. यह जमानत आवेदन, अभियुक्त-आवेदक गिरीश चन्द्र की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 397/2025, अन्तर्गत धारा 109, 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना वजीरगंज, जिला बदायूँ में जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना हेतु दाखिल किया गया है।
4. संक्षेप में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट आरोपों के अनुसार, आवेदक सहित तीन अभियुक्त व्यक्तियों ने पक्षकारों के मध्य वैवाहिक/पारिवारिक विवाद के कारण घायल प्रवेश कुमारी को अग्नेयास्त्र से चोट पहुँचाई।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपित कोई भी अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदक दि० 11.12.2025 से कारागार में बन्द है। यह तर्क दिया गया कि यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है किन्तु सूचनादाता एवं आवेदक निकट सम्बन्धी एवं परिवारजन हैं और यह घटना तब घटित हुई जब मौखिक विवाद के दौरान सूचनादाता एवं आवेदक, आवेदक की पुत्री एवं सूचनादाता के भाई के मध्य चल रहे वैवाहिक विवाद का समाधान करने का प्रयास कर रहे थे। यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक को घायल प्रवेश कुमारी को अग्नेयास्त्र से चोट पहुँचाने की भूमिका सौंपी गई है किन्तु घायल प्रवेश कुमारी ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अभिलिखित कथन में अग्नेयास्त्र से चोट पहुँचाने की भूमिका सह-अभियुक्त प्रवीण को सौंपी है और कहा कि आवेदक उसके समधी हैं, अतएव घायल प्रवेश कुमारी के कथन में भौतिक विरोधाभास हैं। यह तर्क दिया गया कि अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, घायल प्रवेश कुमारी को उसकी दाहिनी भुजा पर बन्दूक की गोली लगी किन्तु अग्नेयास्त्र से चोट पहुँचाने की भूमिका सह-अभियुक्त प्रवीण को सौंपी गई है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक 73 वर्ष की आयु का एक वृद्ध व्यक्ति है, जो वृद्धावस्था से सम्बन्धित रोगों से पीड़ित है, जिसके समर्थन में सम्बन्धित दस्तावेज जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह तर्क दिया गया कि विचारण के निष्कर्ष में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर मुक्त होने की दशा में न्याय के मार्ग से भागने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत आवेदन का यह तर्क देते हुए विरोध किया कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषिता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी भी अनुग्रह का पात्र नहीं है। यह तर्क दिया गया कि यदि आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाता है तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करेगा। यह भी तर्क दिया गया कि प्राप्त अनुदेशों के अनुसार, इस प्रकरण में दि० 19.01.2026 को आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उपरोक्त उल्लिखित पक्षकारों के कथनों पर विचार करने के उपरान्त तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है किन्तु सूचनादाता एवं आवेदक निकट सम्बन्धी एवं परिवारजन हैं और यह घटना तब घटित हुई जब सूचनादाता एवं आवेदक मौखिक विवाद के दौरान आवेदक की पुत्री एवं सूचनादाता के भाई के मध्य चल रहे वैवाहिक विवाद का समाधान करने का प्रयास कर रहे थे, यद्यपि आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में घायल प्रवेश कुमारी को अग्नेयास्त्र से चोट पहुँचाने की भूमिका सौंपी गई है किन्तु घायल प्रवेश कुमारी ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अभिलिखित कथन में अग्नेयास्त्र से चोट पहुँचाने की भूमिका सह-अभियुक्त प्रवीण को सौंपी है और कहा कि आवेदक उसके समधी हैं, अतएव घायल प्रवेश कुमारी के कथन में भौतिक विरोधाभास हैं, आवेदक 73 वर्ष की आयु का वृद्ध व्यक्ति है, जो वृद्धावस्था से सम्बन्धित रोगों से पीड़ित है, जिसके समर्थन में सम्बन्धित दस्तावेज जमानत आवेदन के साथ संलग्न हैं और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है अतएव अभियोजन पक्ष के साक्षियों को डराने-धमकाने अथवा दबाव डालने की कोई युक्तियुक्त सम्भावना नहीं है, वह दि० 11.12.2025 से कारागार में बन्द है; विचारण के निष्कर्ष के सम्बन्ध में अनिश्चितता को दृष्टिगत रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के वृहत् अधिदेश को दृष्टिगत रखते हुए, मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) लॉसूट 677 में माननीय उच्चतम न्यायालय के पैराग्राफ सं० 53 पर विचार करते हुए, भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एस.सी.सी. 713 एवं सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार तथा मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक को उपरोक्त अपराध में निम्नलिखित शर्तों के साथ सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो भारी प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त किया जाये:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा अथवा साक्षियों को धमकी नहीं देगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः अथवा सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुसार उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले की सुनवाई, (ii) आरोप विरचन एवं (iii) उसके विरुद्ध साक्ष्य में परिलक्षित परिस्थितियों की व्याख्या करने हेतु व्यक्तिशः कथन अभिलेखन की तिथियों पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

(v) विचारण के दौरान यदि आवेदक जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करे और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कड़ाई से कार्यवाही करेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, वह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. बंध-पत्र स्वीकार किये जाने से पूर्व आवेदक एवं प्रतिभुओं की पहचान एवं निवास प्रमाण सम्बन्धित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाये।

(न्यायमूर्ति सन्तोष राय)

18 मार्च, 2026